उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी की दिनांक 04.03.2024 को हुई सम्पन्न वित्त समिति की 17वीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी की 17वीं वित्त समिति की बैठक, दिनांक 04.03.024 को पूर्वाह्न 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. प्रोफेसर ओमप्रकाश सिंह नेगी, कुलपति एवं अध्यक्ष उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2. प्रोफेसर डी0पी0 त्रिपाठी, प्राध्यापक, वास्तु शास्त्र श्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (सदस्य कार्यपरिषद)।	सदस्य
3. प्रोफेसर चन्द्र दत्त सूठां, निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड (प्रतिनिधि सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन)	सदस्य
4. श्री दिनेश राणा, मुख्य कोषाधिकारी, (प्रतिनिधि सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन)	सदस्य
5. श्रीमती आभा गर्खाल, वित्तत नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य सचिव
6. प्रोफेसर पी0डी0 पन्त कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	विशेष आमंत्रित सदस्य
7. श्री दीपक कुमार, सहायक कुलसचिव (वित्त) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	विशेष आमंत्रित सदस्य

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वित्त नियन्त्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

सर्वप्रथम सचिव, वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत कर, अध्यक्ष महोदय (कुलपति जी) की अनुमति से बैठक प्रारम्भ किया गया। तदोपरांत 17वीं वित्त समिति की बैठक में समिति के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया।

मद संख्या 17.01– वित्त समिति की 16वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सचिव, वित्त समिति द्वारा बैठक में समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की 16वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त समस्त सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में प्रेषित कार्यवृत्त में कोई आपत्ति/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ। तद्नुसार समिति द्वारा सर्वसम्मति से 16वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या 17.02– वित्त समिति की 16वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

वित्त समिति की 16वीं बैठक में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई। समिति द्वारा कार्यवृत्त अर्थात जिन मदों पर प्रक्रिया गतिमान है, जैसे मद संख्या–16.10, मद संख्या–16.11 एवं 16.14 पर अपना मत व्यक्त करते हुए भी निम्नानुसार कार्यवाही करने की अपेक्षा की –

मद संख्या 16.10– समिति द्वारा यह निर्देश दिया गया कि विश्वविद्यालय में आकस्मिक कार्यो (जैसा कि वर्ष 2022–23 में किया गया) के दृष्टिगत भविष्य में विभिन्न श्रेणियों के बाह्य श्रमिकों से कार्य कराये जाने हेतु पारिश्रमिक निर्धारण के लिए कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें वित नियत्रंक अथवा उनके प्रतिनिधि उक्त समिति के सदस्य रहेंगे। उक्त समिति का यह दायित्व होगा कि संस्था हित में औचित्यपूर्ण संस्तुति आख्या कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करेगी एवं तद्नुसार ही भविष्य में संबधित प्रकरणों पर अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

मद संख्या 16.11– समिति की यह सहमति बनी कि कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रकरण के निराकरण हेतु आगामी कार्यपरिषद की 36वीं बैठक दिनांक 29.12.2022 के मद संख्या–16.11 में पारित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें। इस हेतु कुलसचिव द्वारा आगामी कार्यपरिषद में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत कर प्रकरण का निराकरण किया जायेगा।

मद संख्या 16.14– नियत मानदेय पर कार्यरत छः (06) कार्मिकों के 89 दिन बाद सेवा व्यवधान हटाये जाने संबंधी प्रस्ताव पर समिति ने यह मत व्यक्त किया है कि प्रकरण नीतिगत होने के दृष्टिगत सेवा व्यवधान की व्यवस्था को अर्थात 89 दिन के बाद 01 दिन के व्यवधान (ब्रेक) को पूर्व की भांति यथावत रखा जाय।

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

मद संख्या 17.03– वित्तीय वर्ष 2022–23 का वास्तविक आय–व्यय विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2023–2024 का दिनांक 27.02.2024 तक का वास्तविक आय–व्यय विवरण।

समिति के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2022–2023 का वास्तविक आय–व्यय विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2023–2024 का माह फरवरी, 2024 तक का आय–व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–2023 एवं वित्तीय वर्ष 2023–2024 के आय–व्यय विवरण तालिका का अवलोकन कर बजट का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या 17:04– वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए अनुमानित आय–व्ययक प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

आगामी वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु प्रस्तावित्त आय–व्यय प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श किया गया तथा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत अधोलिखित तालिका में वर्णित आय–व्ययक (कुल प्राविधान रू0 787164661/–) का बजट आगामी वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए पारित किया। समिति द्वारा यह भी संस्तुति दी गयी है कि उत्तराखण्ड शासन से अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत मद संख्या–05 वेतन भत्ते लिए सहायक अनुदान, मद संख्या–08–पारिश्रमिक एवं मद संख्या– 56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के तहत बजट स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुदान की प्राप्ति एवं आहरण प्रक्रिया में लगने वाले समय के दृष्टिगत, यदि कोई विलम्ब हो तो, विश्वविद्यालय हित में स्वयं के आय स्रोतों (शुल्कादि) से सुसंगत व्यय कुलपति जी के अनुमोदनोपरांत ही किया जायेगा। यदि ऐसा कोई आकस्मिक व्यय वित्ततीय अनुशासन के तहत कर लिया जाता है, तो शासन से बजट प्राप्ति के पश्चात सुसंगत मद में समायोजित कर लिया जायेगा तथा वास्तविक आय–व्यय विवरण आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

Sr. no.	Head	Proposal foRr 2024-2025
A	**Grant from Salary (05)**	22,04,92,661.00
	Total (A)	**22,04,92,661.00**
B	**Grant from Capital Assets (55)**	15,00,00,000.00
	Total (B)	**15,00,00,000.00**
C	**Grant from Remuneration (08)**	1,58,71,000.00
	Total (C)	**1,58,71,000.00**
D	**Grant from Non-Salary(56)**	
1	Advertisment	10,00,000.00
2	Stationery Exp.	20,00,000.00
3	Convocation / Other/NAAC	20,00,000.00
4	Electricity Expenses	15,00,000.00
5	Exam Exp.	6,97,00,000.00
6	Fee Share to Study Centre	8,00,00,000.00
7	Food / Refreshment Exp.	50,000.00
8	General Maintenance	5,00,00,000.00
9	Guest Exp. & Allow./Student Supp. System	50,00,000.00
10	Office Expenses/Stationary	60,00,000.00
11	Office Furniture & Apparatus& Material Consumption	60,00,000.00

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वित्त नियंत्रक

12	Pension and Gratuity	1,000.00
13	Petrol / Diesel foRr Vehicle/Maintenance	26,00,000.00
14	Printing/Books Purch./Publishing (MPDD)	7,50,00,000.00
15	Reimbursement of Medical Expenses	10,00,000.00
16	Remuneration	30,00,000.00
17	Rent and Taxes	25,00,000.00
18	Small Construction Work& Related Work	5,00,000.00
19	Spl. Exp/Acd. Assoc./Adm. Con./Ext. Ser Prov	4,45,00,000.00
20	Staff Car Purchase	50,000.00
21	Staff Training & Dev.	50,000.00
22	Telephone Expenses	10,00,000.00
23	Transfer Travelling Allowance	50,000.00
24	Travelling Expenses	15,00,000.00
25	Vocational Edu. & Res./Medicines	5,00,000.00
26	Wages	2,50,000.00
27	Water Expenses	1,00,000.00
28	Library	5,00,000.00
29	Research and Innovation	15,00,000.00
30	Legal Exp.	2,00,000.00
31	GPF Intrest	5,00,000.00
32	**School/Department All Expenses (List Attched)**	4,17,50,000.00
33	Other Expenseses	5,00,000.00
	Total (D)	**40,08,01,000.00**
	Grant Total (A+B+C+D)=	**78,71,64,661.00**

BUDGET PROPOSAL DEPARTMENT WISE 2024-25

Sr. No.	Name of Schools	Sr. No.	Departments	Proposal
1	**School of Humainites**	1	Department of English and FoRreign language	600000.00
		2	Department of Hindi and Modern Indian languages	600000.00
		3	Department of Vedic and Jyotish	500000.00
		4	Department of Indian Karmkand	300000.00
		5	Department of Music, dance and Art PerfoRrmance	600000.00
		6	Department of Philosophy	100000.00
		7	Department of Sanskrit and Prakrit languages	300000.00
		8	Department of Urdu	300000.00
Total				**3300000.00**
2	**School of Social Science**	1	Department of Economics	500000.00
		2	Department of History	600000.00
		3	Department of Political Science	600000.00
		4	Department of Psychology	600000.00
		5	Department of Public Administration	600000.00
		6	Department of Social Work	600000.00
		7	Department of Sociology	600000.00
		8	Department of Himalayan Studies	50000.00

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

		9	Department of Gandhi Studies and Peace	50000.00
		10	WOMAN STUDIES	100000.00
		11	ANTHOPOLOGY	100000.00
		12	MILITRY STUDIES	100000.00
			Total	**4500000.00**
3	**School of Management studies and Commerce**	1	Department of Management Studies	800000.00
		2	Department of Commerce	800000.00
		3	Department of Human Values and ethics	100000.00
			Total	**1700000.00**
4	**School of Science**	1	Department of Botany	2500000.00
		2	Department of Chemistry	2500000.00
		3	Department of Maths	1000000.00
		4	Department of Physics	1500000.00
		5	Department of Zoology	2500000.00
			Total	**10000000.00**
5	**School of Computer Science**	1	Department of Computer Science	800000.00
		2	Department of InfoRrmation Technology	800000.00
		3	Department of Vocational Studies	800000.00
			Total	**2400000.00**
6	**School of Tourism, Hospitality and Hotel Managemet**	1	Department of Tourism and Hospitality	800000.00
		2	Department of Hotel Management	100000.00
			Total	**900000.00**
7	**School of Agriculture & Development Studies**	1	Department of Agriculture/vegetables science	100000.00
		2	Department of Horticulture	100000.00
		3	Department of Development Studies	300000.00
			Total	**500000.00**
8	**School of Health Science**	1	Department of Ayurveda	50000.00
		2	Department of Medical Science and Health Care	50000.00
		3	Department of Yog and Natrural Health	800000.00
		4	Department of Home Science	800000.00
			Total	**1700000.00**
9	**School of Education**	1	Department of Education	550000.00
		2	Department of Teacher Education	550000.00
		3	Department of Special Education	600000.00
			Total	**1700000.00**
10	**School of Library and InfoRrmation Sciences**	1	Department of Library and InfoRrmation Science	500000.00
			Total	**500000.00**

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

11	School of Journalism and Media Studies	1	Department of Media & Journalism	600000.00
Total				**600000.00**
12	School of Law	1	Department of Civil Law	50000.00
		2	Department of criminal Law	50000.00
		3	Department of Human rights and Legal Affairs	100000.00
Total				**200000.00**
13	School of Earth and Environmental Science	1	Department of Geology	450000.00
		2	Department of FoRrestry and Environment Science	500000.00
		3	Environmental Sciecne	300000.00
		4	Department of Geographic InfoRrmation Systems and Remote Sensing Applications	1000000.00
Total				**2250000.00**
14	EMPC	1	EMPC	500000
Total				**500000**
15	ICT	1	ICT (UNIVERSITY ALL CENTRALISED FACILITY)	10000000
Total				**10000000**
16	Community Radio	1	Community Radio	500000
Total				**500000**
17	Cruch	1	Cruch	400000
Total				**400000**
15	Women Studies	1	Women Studies	100000
Total				**100000**
GRANT TOTAL				**4,17,50,000.00**

मद संख्या 17:05– क्षेत्रीय कार्यालयों एवं कुलपति सचिवालय हेतु स्वीकृत इम्प्रेस्ट धनराशि क्रमशः रूपये 4000/– एवं रूपये 5000/– की सीमा बढ़ाये जाने पर विचार।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में इम्प्रेस्ट मद के सापेक्ष होने वाले व्ययों की दरों में बढोत्तरी होने के कारण प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय एवं कुलपति सचिवालय हेतु इम्प्रेस्ट धनराशि रूपये क्रमशः 1000–1000 की वृद्धि करते हुए कुलपति सचिवालय को 6000/– एवं प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को 5000/– इम्प्रेस्ट धनराशि स्वीकृत करने की संस्तुति प्रदान की।

मद संख्या 17:06– IBM Blade Server Storage की निष्प्रयोजता के संबंध में केन्द्रीय क्रय समिति के कार्यवृत्त दिनांक 08.09.2023 की संस्तुति पर विचार।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित 'सूचना और संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोग और निस्तारण के लिए नीति, 2016 में विहित प्राविधानों के अनुरूप उक्त आई0बी0एम0 ब्लेड सर्वर स्टोरेज की कार्यकारी आयु पूर्ण होने व अनुपयोगी होने के

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वित्त नियन्त्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

कारण विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्रय समिति बैठक, दिनांक 08.09.2023 के कायवृत्त की संस्तुतियों पर यह सुझाव दिया कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) में निर्दिष्ट 'बाई–बैक (बदले आपूर्ति) ऑफर' उपबन्धों के अनुरूप कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

मद संख्या 17:07– विश्वविद्यालय में कार्यरत वीडियो एडिटर एवं कैमरामैन के मानदेय में वृद्धि संबंधी प्रकरण पर विचार।

वीडियो एडिटर एवं कैमरामैन के द्वारा विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा पद्धति को सुदृढ करने के लिए ऑनलाईन अध्ययन हेतु विभिन्न व्याख्यानों को सतत् रूप से रिकार्ड करना एवं उनका उचित माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थित छात्रों तक पहुँचाने में कारगर भूमिका होती है। ई0एम0पी0सी0 द्वारा विभिन्न बाह्य संस्थाओं के व्याख्यानों को भी तैयार किया जाता रहता है, जिससे विश्वविद्यालय की समय–समय पर आय का भी अर्जन होता है। उक्त कार्मिकों की अर्हताऐं, इग्नू, नई दिल्ली, इन्दिरा गाँधी नेशनल सेन्टर फॉर द आर्ट्स, नई दिल्ली एवं राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के वीडियो एडिटर व कैमरामैन के पदों की शैक्षिक अर्हता एवं तकनीकी अर्हता का परस्पर विश्लेषण कर समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत वीडियो एडिटर एवं कैमरामैन के मानदेय में क्रमशः 3000–3000 की वृद्धि का निम्नवत संशोधन किया–

क्रम संख्या	कार्यरत कार्मिक का नाम	वर्तमान में देय मानदेय	17वीं वित समिति द्वारा संस्तुत मानदेय
01	श्री हरीश कुमार गोयल, वीडियो एडिटर	27000 प्रति माह	30000 प्रति माह
02	श्री विभू काण्डपाल, कैमरामैन	24000 प्रति माह	27000 प्रति माह

तद्क्रम में वित्त समिति 15वीं बैठक, दिनांक 26.03.2022 के निर्णयों को शिथिलता प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय में कार्यरत अन्य प्रशासनिक परामर्शदाताओं के मानदेय/पारिश्रमिक में भी रूपये 1000/– की निम्नवत् वृद्धि करने की भी संस्तुति दी है तथा इस प्रकार के मानदेय/पारिश्रमिक वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव आगामी तीन वर्षों के उपरांत ही विचार किया जाना उचित होगा।

क्रम संख्या	नियोजन जिस रूप में किया गया	कार्मिक का नाम	वर्तमान में देय मानदेय	17वीं वित्तत समिति द्वारा संस्तुत मानदेय
1.	प्रशासनिक परामर्शदाता	श्री नरेन्द्र जगूड़ी	27000/–	28000/–
2.		श्री विनोद कुमार विरखानी	27000/–	28000/–
3.		श्रीमती कंचन बिष्ट	22000/–	23000/–
4.		श्री राजेन्द्र जोशी	20000/–	21000/–
5.		श्री योगेश चन्द्र गुरूरानी	20000/–	21000/–
6.	तकनीकी परामर्शदाता (कम्युनिटी रेडियों)	श्री अनिल नैलवाल	20000/–	21000/–
7.		श्रीमती सुनीता भट्ट	20000/–	21000/–
8.	तकनीकी परामर्शदाता	श्री विनय कुमार टम्टा	22000/–	23000/–

उपर्युक्त मानदेय की बढी हुई दरें अगले वित्तीय वर्ष दिनांक 01.04.2024 से कार्यपरिषद के अनुमोदनोपरांत ही प्रभावी होगीं।

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

मद संख्या 17:08—**विश्वविद्यालय के 08 क्षेत्रीय केन्द्रों के अधिकारियों (सहायक क्षेत्रीय निदेशक) की शासकीय वाहन/वाहन भत्ता राशि की माँग पर विचार।**

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों व विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार ही यात्रा भत्ता दिये जाने की संस्तुति दी है। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में कार्यक्षेत्रों के भ्रमण में टैक्सी/स्व-वाहन की अनुमति, जिसकी दरें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगी, वही दरें लागू होगीं, परन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति जी का निर्णय मान्य होगा।

मद संख्या 17:09— **सामुदायिक रेडियों 'हैलो हल्द्वानी' में व्याख्यानों हेतु आमंत्रित विशेषज्ञों के मानदेय पर विचार।**

विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निमित्त समिति द्वारा यह सुझाव दिया है कि रेडियों केन्द्र 'हैलो हल्द्वानी' के कार्यक्रमों में प्रत्येक माह में अधिकतम 02 व्याख्याताओं को आमंत्रित किया जा सकेगा, जिसमें अकादमिक विशेषज्ञों को रू0 1000/- एवं अकादमिक कार्यों से इतर अन्य व्याख्याताओं रू0 500/- किये जाने की संस्तुति दी है तथा यह भी कहा कि आमंत्रित व्याख्याताओं की सूची कुलपति जी के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी तथा उनके अनुमोदन के उपरांत ही व्याख्याताओं को बुलाया जायेगा।

मद संख्या 17:10— **वित्तीय वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखों का चार्टेड एकाउन्टेन्ट से कराए गए लेखा परीक्षण कार्य हेतु पूर्व निर्धारित दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि पर कार्योत्तर स्वीकृति।**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखे चार्टड एकाउन्टेंट से तैयार कराए जाने की निर्धारित दरों में फर्म के द्वारा 25 प्रतिशत वृद्धि का अनुरोध किया गया था। उनके प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए कुलपति जी ने 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वीकृत की। अतः उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 17:11— **परीक्षा समिति की 17वीं बैठक दिनांक 27.02.2024 में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विचार।**

परीक्षा समिति की 17वीं बैठक, दिनांक 27.02.2024 के वित्तीय उपाशय निहित निम्नलिखित प्रस्ताव वित्त समिति के द्वारा पारित किया गया—

विचार हेतु प्रेषित बिन्दु	परीक्षा समिति की संस्तुति	वित्त समिति की संस्तुति
17.03—छात्रों द्वारा परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने हेतु लिये जाने वाला शुल्क धनराशि रू0 200/- प्रति उत्तर पुस्तिका से वृद्धि करके रू0 300 प्रति उत्तर पुस्तिका किये जाने पर विचार।	उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने हेतु शुल्क राशि को रू0 200/- प्रति उत्तर पुस्तिका से वृद्धि करके रू0 300/- प्रति उत्तरपुस्तिका किया गया। संबंधित छात्र परीक्षा फल घोषित होने की तिथि से 06 माह के भीतर भुगतान कर केवल अपनी उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति ही प्राप्त कर सकता है। उक्त व्यवस्था	परीक्षा समिति की संस्तुति को यथावत रूप में कार्यपरिषद हेतु संस्तुति की गयी है।

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

	आगामी ग्रीष्मकालीन परीक्षा सत्र जून, 2024 से लागू जाने की संस्तुति परीक्षा समिति द्वारा की गयी है।	
17.04–परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका में प्राप्त प्राप्तांकों के संबंध में शिकायती प्रकोष्ठ के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर विचारोपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु धनराशि रू0 1000 प्रति उत्तर पुस्तिका शुल्क लिये जाने पर विचार।	विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु धनराशि रू0 1000/– किये जाने की संस्तुति परीक्षा समिति द्वारा की गयी है।	वित्त समिति द्वारा परीक्षा समिति की उक्त संस्तुति को इस प्रतिबन्ध के साथ संस्तुति हुई है कि पुनर्मूल्यांकन के आवेदनों के परीक्षण हेतु पुनर्मूल्यांकन समिति का गठन कर लिया जाना होगा।
17.05–विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यान हेतु लिये जाने वाला निर्धारित शुल्क रू0 100 प्रति छात्र में वृद्धि कर रू0 500 प्रति छात्र किये जाने पर विचार।	विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यान हेतु लिये जाने वाला निर्धारित शुल्क रू0 100 प्रति छात्र में वृद्धि कर रू0 500 प्रति छात्र किए जाने के संस्तुति परीक्षा समिति द्वारा की गयी है।	वित्त समिति द्वारा परीक्षा समिति की संस्तुति में संशोधन करते हुए रूपये 200 प्रति छात्र लिये जाने की संस्तुति की।
17.06–विद्यार्थियों द्वारा उपाधि/प्रमाण पत्र की मांग तत्काल किये जाने पर विद्यार्थी से अतिरिक्त शुल्क रू0 1000 लिए जाने पर विचार।	सूच्य है कि परीक्षार्थी का कोर्स पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार उनके द्वारा आवेदन करने पर कुल 90 दिनों में उपाधि/प्रमाण/डिप्लोमा दिए गए पते पर डाक के माध्यम से प्रेषित की जाती है। परीक्षार्थी यदि निर्धारित समयावधि से पूर्व तत्काल संबंधित उपाधि/प्रमाण पत्र/डिप्लोमा की मांग करता है तो संबंधित परीक्षार्थी को इस हेतु पृथक से धनराशि रू 1000/– वि0वि0 में जमा के उपरांत ही उपाधि/प्रमाण पत्र/डिप्लोमा तत्काल प्रेषित किये जाने की संस्तुति परीक्षा समिति द्वारा की गयी है।	वित्त समिति द्वारा परीक्षा समिति की संस्तुति को यथावत पारित कर लिया गया है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के निहित प्राविधानों का भी अनुपालन किये जाने की संस्तुति की गयी है।
17.10–परीक्षा केन्द्रों में तैनात चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के तैनाती हेतु मानकों में परिवर्तन व आनुषांगिक व्यय रू0 1500 से वृद्धि कर रू0 2000/– किये जाने पर विचार।	परीक्षा केन्द्रों में तैनात चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के तैनाती मानक पूर्व व्यवस्थानुसार यथावत रखे जाने की संस्तुति परीक्षा समिति द्वारा की गयी है। उक्त के अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों को दिये जाने वाले न्यूनतम आनुषांगिक व्यय में रू0 1500/– से वृद्धि कर रू0 2000/– किये जाने की संस्तुति भी परीक्षा समिति द्वारा की गयी तथा परीक्षा केन्द्रों के द्वारा आनुषांगिक व्यय के अधीन केवल उन वस्तुओं का क्रय किया जाने, जो प्रत्यक्ष रूप से परीक्षा के दौरान उपयोग में आएं यथा– स्टेशनरी, साफ–सफाई उपयोगार्थ वस्तुएं समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई। इसके अन्तर्गत भवन निर्माण, साज–सज्जा, क्रोकरी व उपकरण आदि क्रय की अनुमति नहीं होगी।	समिति द्वारा परीक्षा समिति की संस्तुतियों को यथावत पारित कर लिया गया है। उक्त संस्तुति में 'आनुषांगिक' शब्द के स्थान पर 'आकस्मिक' शब्द लिखे अथवा पढ़े जाने की भी संस्तुति दी।
17.11–परीक्षा केन्द्रों के द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की ढुलाई कार्य हेतु छोटे बण्डल (अधिकतम	परीक्षा केन्द्रों के द्वारा ढुलाई कार्य हेतु छोटे बण्डल (अधिकतम 50 उत्तर पुस्तिकाओं के) हेतु प्रति बण्डल रू0 5.	वित्त समिति द्वारा परीक्षा समिति की उक्त संस्तुति के क्रम में संशोधन करते हुए

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

50 उत्तर पुस्तिकाओं हेतु) रू0 5.00 उतारना रू0 5.00 चढ़ाना तथा 50 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं हेतु रू0 10.00 उतारना एवं रू0 10.00 चढ़ाना की दरों को लागू किये जाने पर विचार।	00 उतारना व रू0 5.00 चढाना एवं बडे बण्डल (50 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं के) हेतु प्रति बण्डल रू0 10.00 उतारना व रू0 10.00 चढ़ाना अनुमन्य किये जाने पर परीक्षा समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई। इसके अन्तर्गत 300 उत्तरपुस्तिकाओं से अधिक के बण्डल बनाने की अनुमति नहीं होगी, की भी संस्तुति की गयी है।	यह निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण 01 परीक्षा सत्र में ढुलाई कार्य हेतु व्यय की सीमा वास्तविक व्यय तक अथवा अधिकतम रू0 3000/– मात्र, जो भी कम हो, तक किये जाने की संस्तुति प्रदान की है।
17.12–परीक्षा शुल्क वापसी हेतु नियमों के निर्धारण पर विचार	परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करते समय त्रुटिवश या नेटवर्क की समस्या के कारण दो बार या उससे अधिक ऑनलाइन शुल्क जमा कर दिया जाता है, ऐसे परीक्षार्थियों द्वारा अतिरिक्त जमा शुल्क को वापस किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर ऑफ–लाईन आवेदन कर आवश्यक प्रपत्रों के साथ विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाएगा, प्राप्त आवेदनों की जांच करने के उपरान्त अतिरिक्त शुल्क वापसी केवल परीक्षार्थी के बैंक खाते में ही स्थानान्तरित किये जाने पर परीक्षा समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है।	समिति द्वारा परीक्षा समिति की संस्तुतियों को यथावत पारित कर लिया गया है।
17.20–विश्वविद्यालय के परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल माध्यम से कराये जाने के संबंध में।	दिनांक 23 फरवरी, 2024 को सम्पन्न बैठक में उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल माध्यम से कराये जाने पर आने वाले अनुमानित व्यय का आंकलन करने के लिए सर्वप्रथम GEM के माध्यम से दरें प्राप्त करने एवं उसके उपरान्त यथोचित अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु परीक्षा समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है।	समिति द्वारा परीक्षा समिति की संस्तुतियों को यथावत पारित कर लिया गया है।
17.20(2)–परीक्षा केन्द्रों, जिनके द्वारा पूर्व समायोजन प्रस्तुत नहीं किए गए हैं उनके नवीन भुगतान व वन टाईम सेटेलमेंट हेतु विचार।	ऐसे समस्त परीक्षा केन्द्रों, जिन्होंने पूर्व समायोजन प्रस्तुत नहीं किया गया, को पत्र निर्गत करने, जिसकी प्रति उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड यथा आवश्यक निर्देश संबंधित को प्रदान करने अथवा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने की संस्तुति परीक्षा समिति द्वारा की गयी है एवं वन टाईम सेटलमेन्ट हेतु प्रस्ताव वित्तत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है।	वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि प्रकरण वित्तीय अनुशासनहीनता से जुड़ा हुआ है अतः ऐसे परीक्षा केन्द्रों/अध्ययन केन्द्रों, जिनके द्वारा पूर्व सत्रों का समायोजन प्रस्तुत नहीं किया गया है, को चेतावनी पत्र निर्गत किये जाएं। उक्त प्रकरण का पूर्ण तौर पर निराकरण हेतु ऐसे परीक्षा केन्द्रों/अध्ययन केन्द्रों के अवशेष असमायोजित ब्योरों की रिपोर्ट यथाशीघ्र तैयार एक वन टाईम सेटेलमेंट समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नवत सदस्य सम्मिलित होगें– निदेशक, उच्च शिक्षा,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

			उत्तराखण्ड, विश्वविद्यालय के कुलसचिव, विश्वविद्यालय के वित्त नियत्रंक, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियत्रंक, सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक, सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक क्षेत्रीय निदेशक एवं सम्बन्धित केन्द्र के प्राचार्य/समन्वयक। गठित समिति का यह दायित्व होगा कि वह यथाशीघ्र विस्तृत जांच व परीक्षण कर उसकी विस्तृत रिपोर्ट कुलपति जी के समक्ष अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगी।

मद संख्या 17:12– भवन निर्माण समिति की 16वीं बैठक, दिनांक 27.02.2024 में पारित वित्तीय उपाशय के निहित प्रस्तावों पर विचार।

भवन निर्माण समिति की 15 वीं बैठक, दिनांक 22.12.2022 की संस्तुतियां एवं 16वीं बैठक, दिनांक 27.02.2024 में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों में वित्त समिति द्वारा अनुशंसा प्रदान की।

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का शीर्षक	कृत कार्यवाही	निर्माण समिति की अनुशंसा
15.01	नवनिर्मित एम0पी0डी0डी0 हॉल में शौचालय एवं चाहरदिवारी को 03फीट बढ़ाने तथा तार–बाड़ का कार्य किये जाने के संबंध में चर्चा।	कार्यवाही गतिमान है।	समिति द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्य की डी0पी0आर0 प्रस्तुत न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा इस हेतु यथाशीघ्र डी0पी0आर बनाये जाने के निर्देश दिये गये।
15.02	विश्वविद्यालय के चार दीवारी, सड़कों एवं नवनिर्मित भवनों तथा आवासों के बाहर विद्युतीकरण एवं विद्युत संयोजन हेतु ट्रांसफॉर्मर लगाये जाने संबंधी कार्यों की चर्चा।	विश्वविद्यालय में विद्युतीकरण का कार्य यू0पी0सी0एल0 द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान में कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।	समिति द्वारा इस हेतु अवशेष कार्य को अतिशीघ्र किये जाने हेतु यू0पी0सी0एल0 को पत्राचार किये जाने का निर्णय लिया गया।
15.03	नवनिर्मित कुलपति आवास में भूमिगत जल संचयन टैंक, शौचालय व मोमटी के ऊपर आर0सी0सी0 स्लैब के निर्माण के संबंध चर्चा।	कार्यवाही गतिमान है।	समिति द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्य की डी0पी0आर0 प्रस्तुत न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा इस हेतु यथाशीघ्र डी0पी0आर बनाये जाने के निर्देश दिये गये।
15.04	विश्वविद्यालय के समस्त भवन	कार्यवाही गतिमान है।	समिति द्वारा कार्यदायी

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वित्त नियन्त्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

	निर्माण परियोजनाओं के हस्तगत किये जाने पूर्व, की कार्यवाही के संबंध में।		संस्था को समस्त भवन निर्माण परियोजनाओं को दिनांक 31 मार्च 2024 तक हस्तगत किये जाने के निर्देश दिये गये।
15.05	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत प्रस्तावों को वित्ततीय स्वीकृति हेतु PM USHA योजनान्तर्गत शासन को प्रेषित किये गये थे, जिस पर स्वीकृति प्राप्त नही हुई है।	समिति द्वारा इस सम्बन्ध में पृथक से प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा वर्णित प्रस्तावों से अवगत होते हुए सम्यक विचारोपरांत यह निर्देश दिया कि उपर्युक्त कार्यों को संस्था हित में यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाय एवं कृत कार्यवाही से आगामी वित्त समिति/कार्यपरिषद को अवगत कराया जाय।

भवन निर्माण समिति की दिनांक 27 फरवरी, 2024 को संपन्न हुई 16 वीं बैठक की संस्तुतियों पर विचार।

क्रम संख्या	प्रस्ताव का शीर्षक	निर्माण समिति की अनुशंसा
01	**नवनिर्मित एम0पी0डी0डी0 हॉल में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था।**	उक्त प्रस्ताव पर समिति मे समिति के सदस्यों द्वारा कार्यदायी संस्था से डी0पी0आर0 तैयार किये जाने का निर्देश दिया गया तथा उक्त कार्य को विभागाध्यक्ष स्तर की सीमा तक विश्वविद्यालय स्तर से कराये जाने का निर्णय लिया. गया।
02	**वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रस्तावित्त निर्माण कार्यों के संबंध में (प्रस्ताव प्रति संलग्न है)।**	उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी तथा वित्ततीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रस्तावित्त निर्माण कार्यो का अनुमानित व्यय आगणन को आगामी वित्त समिति के प्रस्ताव में रखने के निर्देश दिये गये।
03	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव**	अध्यक्ष महोदय द्वारा परीक्षा विभाग हेतु एक स्टोर के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया, जिस पर समिति द्वारा अनुमति प्रदान की गयी तथा इस हेतु कार्यदायी संस्था से डी0पी0आ0 तैयार किये जाने का निर्देश दिये गये हैं एवं उक्त कार्य को विभागाध्यक्ष स्तर की सीमा तक विश्वविद्यालय स्तर से कराये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा विज्ञान भवन में शिक्षकों के कक्षो तथा वि0वि0 के अकादमिक भवन द्वितीय तल तथा अन्य स्थानों पर आवश्यकता के दृष्टिगत 01 टन की ए0सी0 लगाये जाने का प्रस्ताव दिया गया जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की गयी।

वर्णित प्रस्तावित्त योजनाओं को यथानिर्दिष्ट वित्तीय अधिकारों की प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत ही कार्य करने संस्तुति प्रदान की तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सामान्य अनुरक्षण मद में रूपये 500 लाख प्राविधान करने पर सहमति व्यक्त की तथा उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करने का निर्देश दिया।

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

मद संख्या 17:13– श्री दीपक कुमार, सहायक कुलसचिव के वेतन संरक्षण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव, समिति के विशेष आंमत्रित सदस्य श्री दीपक कुमार, सहायक कुलसचिव के वेतन संरक्षण से संबधित था, अतः अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री दीपक कुमार चर्चा में अनुपस्थित रहे।

श्री दीपक कुमार सहायक कुलसचिव पद पर चयनित होने से पूर्व सहायक अध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वेतनमान 35400–112400 पर कार्यरत थे। सहायक कुलसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नियुक्ति के क्रम में दिनांक 16.11.2.23 को पदभार ग्रहण के समय प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में उनका अंतिम मूलवेतन 37600 निर्धारित था। चूंकि श्री दीपक कुमार पूर्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर विधिवत रूप से सहायक कुलसचिव के पद में चयनित हुए हैं तथा उनके द्वारा वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने के प्रत्यावेदन/प्रस्ताव पर विचार करते हुए समिति ने यह संस्तुति दी है कि उन्हें वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 24/एक्स एक्स वीआई(7)/2009, दिनांक 02.02.2009 के अनुसार श्री दीपक कुमार को वेतन संरक्षण के लाभ पाने हेतु अर्ह पाया गया तथा शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जानी होगी। इस हेतु श्री दीपक कुमार, सहायक कुलसचिव को एक वचन पत्र (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा। इस सन्दर्भ में शासन द्वारा भविष्य में कोई आदेश/निर्देश निर्गत होता है, तो तद्नुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

मद संख्या 17:14– उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों को अर्जित अवकाश का नकदीकरण एवं उपादान की व्यवस्था किए जाने के संबंध में विचार।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह अभिमत दिया कि प्रकरण नीतिगत होने के कारण कार्यपरिषद के माध्यम से प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाय।

मद संख्या 17:15– विश्वविद्यालय में स्थापित कॉपर्स फण्ड के नियमन हेतु नीति निर्धारण पर विचार।

विश्वविद्यालय के स्थापित कॉर्पस फण्ड से आहरण–वितरण नीति बनाये जाने हेतु कुलसचिव को सम्यक प्रस्ताव आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

मद संख्या 17:16– विश्वविद्यालय के कार्मिकों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठयक्रमों में प्रवेश लेने हेतु छूट दिए जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठयक्रमों में कार्मिको के लिए प्रवेश लेने हेतु छूट दिए जाने संबधी व्यवस्था को विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 02 मार्च, 2024 में पारित निम्नानुसार संशोधित प्राविधानों के साथ स्वीकृति की संस्तुति दी –

1. विश्वविद्यालय के कार्मिकों के लिए पाठयक्रम शुल्क में दी जाने वाली छूट की व्यवस्था (स्वयं एवं आश्रित के लिए) केवल दो पाठयक्रमों के लिए ही मान्य होगी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

तदोपरांत कार्मिकों द्वारा अन्य शिक्षार्थियों की तरह पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क दिया जाना होगा।

2. पाठ्यक्रम शुल्क में छूट का लाभ उन कार्मिकों को नही दिया जायेगा जो विश्वविद्यालय में लेवल 10 या उससे अधिक वेतनमान में कार्यरत हैं।

मद संख्या 17:17— वित्ततीय वर्ष 2022—2023 के वार्षिक लेखों का अवलोकन एवं अनुमोदन।

चार्टड एकाउटेंट से तैयार कराये गये वित्तीय वर्ष 2022—2023 के तुलन पत्र (बैंलेस शीट) का अवलोकन किया एवं लेखा कार्यों के अद्यावधिक प्रगति से संतुष्टि व्यक्त करते हुए वार्षिक लेखों पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 17:18 कुलपति जी की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

(क) श्री राहुल बिष्ट के वर्ष 2018—19 में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत वेतन से की गयी कटौती के सापेक्ष चिकित्सीय उपचार में हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में।

समिति द्वारा प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए श्री दिनेश राणा, मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल को एक सदस्यीय जांच/परीक्षण कमेटी के रूप में नामित करने की संस्तुति दी है। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि श्री राणा उक्त प्रकरण की गहनता से परीक्षण कर उसकी आख्या कुलपति जी को प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य हेतु सहायक कुलसचिव, वित्त एवं सहायक कुलसचिव, अधिष्ठान उन्हें कार्यालय अभिलेखों को उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे। श्री राणा की संस्तुतियों को कार्यपरिषद में अनुमोदन प्राप्त तद्नुरूप कार्यवाही की जायेगी तथा परीक्षण के आधार पर उक्त प्रकरण का निराकरण कर लिया जाना उचित होगा।

(ख) विभिन्न बाह्य प्रोजेक्ट्स से प्राप्त होने वाली मद में विश्वविद्यालय के शिक्षकों/कार्मिकों को मानदेय दिये जाने एवं उक्त प्रोजेक्ट्स में विश्वविद्यालय का इम्प्रेस्ट निर्धारित किये जाने पर विचार।

समिति ने यह निर्देश दिया कि विभिन्न प्रोजेक्ट से प्राप्त अनुदान में पारिश्रमिक/मानदेय/प्रोत्साहन राशि निर्धारित करने से पूर्व कुमायूं विश्वविद्यालय एवं पंतनगर विश्वविद्यालय का आधार ले लिया जाए तथा एक कमेटी का गठन कर विश्वविद्यालय के हितार्थ नियम बना लिया जाय।

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा करायी जा रही विभिन्न आयोजनों यथा कार्याशालाओं/प्रयोगात्मक कार्याशालाओं/सेमीनार/प्रशिक्षण/मौखिकी परीक्षा/अन्य बैठक आदि के लिए इम्प्रेस्ट की धनराशि निर्धारित किये जाने पर विचार।

समिति का सम्यक विचारोपरांत यह अनुशंसा दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा कराये जा रहे विभिन्न आयोजनों यथा कार्याशालाओं/प्रयोगात्मक कार्याशालाओं/सेमीनार/प्रशिक्षण/मौखिकी परीक्षा/अन्य बैठक आदि के लिए इम्प्रेस्ट की धनराशि वास्तविक व्यय की सीमा तक अथवा अधिकतम रूपये 10000 मात्र, जो भी कम हो, पर संस्तुति दी।

(घ) विश्वविद्यालय के अतिथि गृह को पी0पी0पी0 मोड में दिये जाने पर विचार।

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

विश्वविद्यालय के अतिथि गृह को पी0पी0पी0 मोड पर चलाने जाने की समिति द्वारा संस्तुति दी है तथा कुलसचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर कुमांयू मण्डल विकास निगम और राज्य अतिथि गृह से दरें प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

(च) विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के संचालन के लिए वर्ष 2024–25 हेतु धनराशि के प्राविधान पर विचार।

विश्वविद्यालय अतिथि गृह के संचालन के लिए भी वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु बजट का प्राविधान प्रस्ताव मद संख्या 17:04 में सामान्य अनुरक्षण मद में 500 लाख कर लिया गया है।

(छ)–विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन (मल्टी पर्पज हॉल) को विश्वविद्यालय गतिविधियों से इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, व्याख्यान, बैठकों हेतु किराये पर देने के संबंध मे।

प्रस्ताव संख्या 17:18(घ) के अनुरूप कार्यवाही कर लिया जाना होगा।

सचिव, वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

सचिव, वित्त समिति

वित्त नियन्त्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

अध्यक्ष, वित्त समिति

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)